

Research Paper

विभाजन के पश्चात् बिहार में औद्योगिक पिछड़ापन की समस्या एवं इसका निदान

साजदा परवीन

शोध छात्रा, इतिहास विभाग, बी. एन. एम. यू. मधेपुरा, बिहार

सार

बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में एक है। 'बीमारू' राज्यों में भी इसका स्थान सबसे न्यूनतम स्तर है। जबकि यहाँ प्राकृतिक संसाधन भरपूर है। बिहार का गंगा दोआब क्षेत्र विश्व का सबसे उपजाऊ भूमि क्षेत्र है। आवश्यक खनिज संसाधन भी यहाँ उपलब्ध है। इसके बावजूद यहाँ लगभग 43% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन-यापन बसर करती है। यहाँ रोजगार के अवसर भी कम उपलब्ध हैं, जिसके कारण लोगों को अपने जीवन-यापन और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। गरीबी के कारण उनमें काम-स्कील भी नहीं होता, जिसके कारण उनके कष्ट और बढ़ जाते हैं। इस सबके लिए जिम्मेवार बिहार का आर्थिक पिछड़ापन है।

विस्तार

यह पिछड़ापन सुनियोजित विकास एवं नियोजन के बावजूद यहां विद्यमान है। बिहार राज्य के आर्थिक पिछड़ापन के आधारभूत कारण निम्नलिखित हैं:-

1. बाढ़ की समस्या— बिहार में नेपाल से बाढ़ आती है। हर वर्ष कम या अधिक बाढ़ का आना बिहार में तय है जिससे मकान, फसल, मवेशी आदि की क्षति होती है। रोजगार के अवसर कृषि में शून्य हो जाती है। जिसके फलस्वरूप बिहार के लोगों की क्रयशक्ति निम्नतम स्तर पर पहुँच जाती है। जिससे 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खरीदने की क्षमता लोगों में नहीं रहती है और गरीबी रेखा के नीचे बिहारवासी आ जाते हैं। जल जमाव की समस्या बिहार में विशेषकर उत्तर बिहार में बहुत ही विकराल है। वैसे बिहार के कुल 28 जिला बाढ़ से प्रभावित है और 9 लाख हेक्टेयर भूमि जल जमाव की समस्या से प्रभावित है। एक अध्ययन के अनुसार देश के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16% हिस्सा बिहार में है। बिहार में औसतन बाढ़ से हुई क्षति भारत देश में बाढ़ से हुई कुल क्षति का 12 प्रतिशत है। भारत देश के बाढ़ प्रभावित कुल जनसंख्या का 2 प्रतिशत हिस्सा बिहार राज्य में निवास करती है। बिहार के आर्थिक पिछड़ापन के कारणों को अमर्त्यसेन के मॉडल से समझा जा सकता है। अमर्त्यसेन के अनुसार—“बंगलादेश में बाढ़ से आये बेरोजगारी एवं क्रयशक्ति में “ह्रास ही बंगलादेश के दरिद्रता एवं अकाल के आधारभूत कारण हैं” ठीक उसी तरह बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का प्रमुख कारण बाढ़ से आयी बेरोजगारी, आर्थिक क्षति एवं बदहाली है।
2. कृषि का बदहाली— बिहार कृषि प्रधान राज्य है। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, किन्तु यहां की कृषि व्यवस्था समस्याग्रस्त है। यहाँ की दो-तिहाई (2/3) भाग भूमि बाढ़ से ग्रसित है। साथ ही बिहार में भूमि सुधार और हरित क्रांति के अच्छे प्रभाव नहीं पड़े। बिहार में अधिकांश किसान छोटे या सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते हैं। जोतों का उपविभाजन एवं उपखण्डन की स्थिति हमेशा रहती है। केवल 2 प्रतिशत व्यक्ति के पास ही 21 प्रतिशत जोत योग्य भूमि उपलब्ध है। बिहार में प्रति हेक्टेयर उत्पाद बहुत कम है। बिहार में प्रति हेक्टेयर अन्न की उत्पादकता जहां 1243 किलोग्राम है वहीं पंजाब में 3484 किलोग्राम है। बिहार में प्रति व्यक्ति अनाज उत्पादकता 133 किलोग्राम है। वहीं भारतीय स्तर पर 203 किलोग्राम है। बिहार में प्रति हेक्टेयर खाद का उपयोग मात्र 79.63 किलोग्राम है जबकि पंजाब में 159.99 किलोग्राम है। भारत में पेस्टीसाइड की कुल मांग में मात्र 3.08 प्रतिशत बिहार राज्य का हिस्सा था जबकि आंध्र प्रदेश का हिस्सा 17 प्रतिशत था। बिहार में कुल जोत का मात्र 40 प्रतिशत भूमि

ही सिंचित है जबकि सिंचाई कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। इस प्रकार प्राकृतिक बाध, संस्थागत तकनीकी, आर्थिक तथा जोत का छोटा प्रकार आकार आदि बिहार के कृषि की बदहाली के लिए जिम्मेदार है।

3. ऊर्जा (बिजली) का अभाव— ऊर्जा आर्थिक विकास का मुख्य घटक है। कृषि ही या उद्योग किसी भी क्षेत्र का विकास ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। बिहार में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता बहुत ही न्यून है। फलतः इससे विकास कार्य अवरुद्ध है।
4. औद्योगिक पिछड़ापन— स्वतंत्रता के समय बिहार राज्य देश का पाँचवा औद्योगिक राज्य था, किन्तु राज्य में चीनी, सीमेंट, इस्पात, कागज एवं जूट उद्योग का पतन औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण बना। तत्पश्चात् बिहार का विभाजन तो शेष बिहार को और भी पिछड़ा बना दिया। अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र झारखंड में चले गए और बिहार का अधिकांश पुराना उद्योग बंद पड़े हैं। बिहार में कुल 33 चीनी मिलें स्थापित हैं जिसमें मात्र चार चालू हालत में हैं। बिहार में अशोक पेपर मिल चालू नहीं किया जा सका है। चर्म उद्योग, हस्तकरघा उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, रेशमी कीट पालन उद्योग सभी वित्तीय अभाव तथा तकनीकी पिछड़ापन के शिकार हैं। इस औद्योगिक पिछड़ापन के कारण बिहार में आर्थिक पिछड़ापन की स्थिति बनी हुई है।
5. कमजोर आर्थिक एवं सामाजिक संरचनाएं— बिहार में परिवहन के प्रमुख साधन सड़क और रेल हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही विकसित किये गये थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसमें नगण्य विस्तार हुआ है। वर्ष 1971-72 में बिहार में रेलवे की कुल लम्बाई 5163 किलोमीटर थी। जो कि वर्ष 1992-93 में बढ़कर मात्र 5315 किलोमीटर हो पायी। इसका अर्थ है कि बिहार में 20 वर्षों में मात्र 152 किलोमीटर नये रेलवे लाइन बिछाये जा सके। बिहार में सड़क की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। बिहार में कुल सड़क लम्बाई का मात्र 36 प्रतिशत पक्का है और विभाजन के बाद यह प्रतिशत और भी कम होकर लगभग 26.1 प्रतिशत पर पहुँच गया है। ऐसी स्थिति में व्यापार भी प्रभावित हो जाता है। बिहार में कुल जनसंख्या का 47.53 प्रतिशत लोग ही शिक्षित हैं। अशिक्षितों की संख्या में हुई काफी वृद्धि से पिछड़ेपन का कारण स्पष्ट झलक रहा है। साथ ही बिहार में स्वास्थ्य की दशा अत्यन्त दयनीय है। आज भी अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या बहुत कम है। परिणामतः मृत्यु दर 12.1 प्रतिशत प्रति हजार है।
6. लोक उपक्रम में केन्द्र का वास्तविक विनियोग— बिहार राज्य में केन्द्र सरकार अपने विनियोग में निरंतर कमी करती जा रही है। जिससे बिहार के आय प्रवाह में रिसाव आ गया है। विनियोग बचत से आता है। बचत तब बढ़ेगा जब आय अधिक होगी। आय अधिक तब होगा जब विनियोग अधिक हो।
7. वित्तीय संस्थाओं की कमी— अविभाजित बिहार में भी वित्तीय संस्थाओं का अभाव था। बंटवारे के बाद और भी अभाव हो गया, जिससे साख प्रवाह काफी कम है। विभाजन के पश्चात् नव बिहार में 22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केवल 16 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रह गए हैं जिनकी कुल शाखाएं 1448 हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान साख जमा अनुपात लगभग 24.93 प्रतिशत था। बिहार में साख प्रवाह के लिए सहकारी बैंक तथा ग्रामीण बैंकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि वाणिज्य बैंक बिहार राज्य के जमा को शाखा बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत दूसरे राज्यों में हस्तान्तरित कर देते हैं।
8. निम्न प्रतिव्यक्ति आय एवं गरीबी का दुश्चक्र—रैगनरनर्क्स ने 'गरीबी दुश्चक्र' की धारणा को दिया था। इसके अनुपात बिहार राज्य पूर्णतः गरीबी दुश्चक्र का शिकार है। बिहार राज्य में प्रतिव्यक्ति आय कम है जिसके फलस्वरूप बचत निम्न स्तर पर है। कम बचत के कारण विनियोग भी कम होता है। विनियोग कम होने पर पूंजी निर्माण दर कम हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप बिहार में प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पर कायम रहती है।
9. निम्न आर्थिक विकास दर— भारत में आर्थिक विकास दर लगभग 9 प्रतिशत आंका गया है जबकि बिहार राज्य का आर्थिक विकास दर लगभग 4.5 प्रतिशत आंका गया है। पिछले 10 वर्षों में बिहार राज्य में औसतन 2.9 प्रतिशत की दर से आर्थिक विकास हो रहा है। जिससे गरीबी का दुश्चक्र बना हुआ है।

इस प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था उपर्युक्त मूलभूत कारणों से आर्थिक पिछड़ापन की शिकार है, किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि बिहार का पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता। आज भी यहाँ विकास की सारी संभावनाएं मौजूद हैं। आवश्यकता है जागने की और मिल-जुलकर संकल्प लेने की। इसके लिए सरकार के साथ-साथ आम लोगों की भागीदारी भी आवश्यक है।

इस पिछड़ापन को दूर करने के लिए पिछले दो-तीन साल से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा कई ठोस कदम उठाये गये हैं। बिहार में कृषि की बदहाली को दूर करने के लिए इन्द्रधनुषी क्रांति एवं अनुबंधत्मक कृषि पर बल दिया जा रहा है। औद्योगिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2006 की घोषणा की गई है। आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। भारत निर्माण योजना द्वारा सड़क, आवास, सिंचाई,

विद्युत आदि के विकास पर बल दिया जा रहा है। कई नई विद्युत उत्पादन ईकाईयों की स्थापना की जा रही है। रोजगार गारंटी योजना के द्वारा गरीबों को रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। आशा है कि इन सभी प्रयासों का परिणाम संकारात्मक होगा और बिहार का पिछड़ापन कम होगा।

आर्थिक पिछड़ापन के निदान

बिहार राज्य में आर्थिक पिछड़ापन के निदान के लिए निम्नलिखित कार्य किया जाना चाहिये—

1. बिहार के बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए समुचित उपाय किए जाने चाहिए।
2. बिहार के कृषि में हरित क्रांति लाने के लिए पंजाब के तर्ज पर कार्य किए जाएं।
3. बिहार राज्य अपने स्तर से ऊर्जा बढ़ाने के लिए निजी उद्यमी को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करे।
4. बिहार राज्य के एगो उद्योगों को विकसित किया जाए तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योग को स्थापित किया जाए। चीनी उद्योग को पुनः स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना होगा।
5. बिहार में इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए।
6. लोक उपक्रमों का निजीकरण किया जाए।
7. साख प्रवाह बढ़ाना वाणिज्य बैंकों का दायित्व है, इसके लिए सरकार सहकारी बैंक का गारेन्टर फिर से बने। सहकारी बैंक की व्यवस्था लोकतांत्रिक हो ताकि लालफीताशाही एवं अफसरशाही का वर्चस्व न हो।
8. बिहार वासियों की प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि करने हेतु शुद्ध विनियोग में वृद्धि किया जाए।
9. केन्द्र सरकार बिहार राज्य को अधिक धन दे तथा कम ब्याज पर श्रृण उपलब्ध करवाए ताकि विनियोग में वृद्धि हो।
10. बिहार में आर्थिक विकास दर में वृद्धि लाने हेतु राज्य के घरेलू उत्पादन में वृद्धि किया जाये।
11. भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम द्वारा 'ग्लोबल मीट प्रोग्राम में बिहार विकास के लिए 10 सूत्री कार्य योजना को अमल करने का बल दिया जाए।

उपर्युक्त कार्यों के संपादन से बिहार में आर्थिक पिछड़ापन को आसानी से दूर किया जा सकता है। इन सब कार्यों के संपादन के लिए राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति एवं जन-सहभागिता के सहयोग की जरूरत है, जिससे बिहार बिमारु राज्य की कोटि से निकलकर विकसित राज्य बन सकेगा और बिहारवासियों को अन्य राज्यों में जाकर मार नहीं खानी पड़ेगी।

स्वतंत्रता के पश्चात् बिहार का आर्थिक विकास देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा धीमा रहा, साथ ही योजना गलत क्रियान्वयन के कारण यह राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा पिछड़ा चला गया। राज्य के विभाजन (बिहार और झारखण्ड) हो जाने के पश्चात् बिहार के आर्थिक विकास के संसाधन और अधिक कमजोर हो गये। कारण आर्थिक संसाधन का बड़ा भाग जैसे कुल वन का 80 प्रतिशत, कुल खनिज संपदा का 94 प्रतिशत और कुल विद्युत उत्पादन का 65 प्रतिशत भाग झारखण्ड में चला गया। किन्तु राज्य के प्रकृति प्रदत्त भूमिगत, जलीय, धत्विक एवं अन्य संसाधनों के उपयोग से यह राज्य एक अत्यन्त संतुलित खेतिहर, सह-औद्योगिक, सह-वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप धारण कर सकता है।

बिहार एक पुर्णतः कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की 60 प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि की जाती है। 83 प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हैं जिसमें 40 प्रतिशत लोग कृषक हैं और 43 प्रतिशत लोग कृषक श्रमिक हैं। बिहार का 40 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है। करीब 150 प्रतिशत शस्य सघनता है। उपर्युक्त आंकड़े जहाँ कृषि की समस्याओं को उजागर करते हैं वहीं कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं जो कृषि क्षेत्र में ग्रहण लगाए हुए हैं। बिहार के 38 जिलों में 28 जिला बाढ़ग्रस्त है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 881 हो गयी है। प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता बहुत कम (0.6 हेक्टेयर) है। अतः बिहार का कृषि क्षेत्र पूर्णतया समस्याग्रस्त है, किन्तु यह भी निश्चित है कि बिहार का विकास कृषि के विकास से ही संभव है।

कृषि के विकास से ही बिहार में औद्योगिक विकास संभव है। कृषि उद्योग के विकास के लिए कृषि का विकास बहुत जरूरी है। बिहार राज्य में यदि उत्पादन क्षमता के अनुरूप वास्तविक उत्पादन को बढ़ाया जाये तो राज्य के कृषि उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हो सकती है। हाल में सर्वेक्षण के आधार पर अमेरिका की एक संस्थान ने अपने रिपोर्ट में बिहार स्थित गंगा-दोआब क्षेत्र को 'विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र' बताया है। अतः बिहार में कृषि के विकास की असीम सम्भावनाएं हैं। कृषि में सुधार के लिए यहाँ भी भूमि सुधार व्यवस्था एवं हरित क्रांति लायी गई, किन्तु वह पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त कर सकी। हालांकि इन प्रयासों से कृषि विकास में बढ़ोतरी हुई, फिर भी यह देश की औसत आवश्यक दर से बहुत कम रही। बिहार की परंपरागत फसलें चावल, गेहूँ, मकई, अरहर, चना, आलू, गन्ना, जूट इत्यादि सभी वास्तविक

उत्पादन क्षमता से कम उत्पादन दिया है। पूरी व्यवस्था को टटोलनी होगी और इन फसलों की अपनी सम्पूर्ण क्षमता से प्रदर्शन करवाना होगा। बाढ़ नियंत्रण, जल-प्रबंधन, उत्तम बीज, उत्तम खाद, समेकित कीट प्रबंधन, आधुनिक कृषि यंत्रिकरण, भंडारण की अच्छी व्यवस्था, विपणन व्यवस्था और सड़क यातायात आदि सभी क्षेत्रों को दुरुस्त करना होगा। साथ ही सभी किसानों को 'किसान क्रेडिट कार्ड' सुविधा मुहैया करना होगा, तभी कृषि विकास संभव है।

—: संदर्भ :-

1. डॉ० एस. पी. सिंह : आर्थिक विकास एवं नियोजन।
2. वाय. एच. एन. अग्रवाल एण्ड, एस. पी. सिंह, जैकोब मैनर: दि इकोनोमिक्स ऑफ डेवलॉपमेंट।
3. प्र० केदान नाथ बिहार के साधन कृषि और उद्योग।
4. चरण सिंह: भारत की भयावह आर्थिक स्थिति।
5. पी. एन. पांडेय, ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन।
6. डॉ० जैन. रोशन, आर्थिक विकास में मानवीय साधन।
7. पीकॉग, चॉंग, एग्रीकल्चर एण्ड इन्डस्ट्रीलॉइजेशन।
8. आर. सी. दत्त, भारत के आर्थिक इतिहास।